रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2011/वैशाख 12, 1933
No. 227] NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2011/VAISAKHA 12, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2011

सा.का.नि. 354(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 है ।

 (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में,—

 (i) अनुसूची-1 में क्रम संख्या 21 में, "तांबा, सीसा और जस्ता प्रगालक" से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

क्र. सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक		
(1)	(2)	(3)	(4)		
"21	तांबा, सीसा अथवा जस्ता प्रगालक संयंत्र		उत्सर्जन मानक अ. सान्द्रक		
			विद्यमान इकाई	नई इकाई	
		विविक्त पदार्थ (मि. ग्रा./नार्मल घन. मीटर)	100	75	
			ब. सल्फर डाइऑक्साइड पुनः प्राप्त इकाई सान्द्रण सीमा मि.ग्रा./नार्मल घन मीटर में, जब तक उल्लिखित न हो ।		
			सल्फ्यूरिक अम्ल के 100% परिवर्तनीय संकेन्द्रण के लिए संयंत्र क्षमता (टन/दिन)	विद्यमान इकाई	नई इकाई
		सल्फर डाइआक्साइड (SO_2)	300 तक	1370	1250
			300 से ऊपर	1250	950
		अम्ल मिस्ट/सल्फर ट्राइऑक्साइड	300 तक	90	70
			300 से ऊपर	70	50

टिप्पण :

1. संयंत्र क्षमता से अर्थ सल्फ्यूरिक अम्ल की स्थापित उत्पादन क्षमता से है ।

2. स्क्रबिंग इकाईयों में ऑन-लाईन पी.एच. मीटर ऑटो-रिकार्डिंग सुविधा के साथ अवश्य हों ।

3. अधिसूचना की तारीख या उसके पश्चात् चालू होने वाले संयंत्र 'नई इकाई' होगी ।

4. सल्फर-डाईऑक्साइड या अम्ल मिस्ट के उत्सर्जन हेतु चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई 30 मीटर हो, या एच=14.0 (क्यू)$^{(0.3)}$ (जो भी अधिक हो) फार्मूले के अनुसार होगी । जहां चिमनी की ऊंचाई "एच" मीटर में और "क्यू" चिमनी द्वारा सल्फर डाईआक्साइड के संभावित उत्सर्जन की अधिकतम मात्रा कि.ग्रा./घंटा में हो, गैसीय उत्सर्जन के मानदंडों के अनुसार और पुछल्ले गैस संयंत्र की 110 प्रतिशत दर क्षमता पर परिकलित की गई है ।

5. एक स्थल पर सल्फ्यूरिक अम्ल की एक से अधिक धारा अथवा पुछल्ले गैस इकाई संयंत्रों में सभी धाराओं और इकाईयों की संयुक्त क्षमता को आधार मानकर चिमनी की ऊंचाई निर्धारित करने और उत्सर्जन मानकों के अनुप्रयोग हेतु विचार किया जाएगा ।

6. पुछल्ले गैस संयंत्रों में स्क्रबिंग इकाई के लिए गैसीय उत्सर्जन हेतु पृथक चिमनी की ऊंचाई, मुख्य चिमनी की ऊंचाई अथवा 30 मीटर, जो भी अधिक हो, के बराबर होगी ।" ।

(ii) अनुसूची VI, भाग-घ, पैरा III में, क्रम संख्या 2 : 'तांबा, सीसा तथा जस्ता प्रगालक/सान्द्रक संयंत्र' पर भार/मात्रा आधारित मानक से संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात् :—

क्र. सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक		
(1)	(2)	(3)	(4)		
				कि.ग्रा./टन में प्रमात्रा सीमा	
			सल्फ्यूरिक अम्ल के 100 % संकेन्द्र के लिए संयंत्र क्षमता (टन/दिन)	विद्यमान इकाई	नई इकाई
"2	तांबा, सीसा अथवा जस्ता प्रगालक संयंत्र	सल्फर डाइऑक्साईड (SO_2)			
			300 तक	2.5	2.0
			300 से ऊपर	2.0	1.5" ।

[फा. सं. क्यू-15017/29/2007-सी.पी.डब्ल्यू.]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844(अ) तारीख 19 नवम्बर, 1986 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन सं. का.आ. 433(अ) तारीख 18 अप्रैल 1987; सा.का.नि. 97(अ) तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. 149(अ) तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 512(अ) तारीख 9 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 543(अ) तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 595(अ) तारीख 21 अगस्त, 2009; सा.का.नि. 794(अ) तारीख 4 नवम्बर, 2009; सा.का.नि. 826(अ) तारीख 16 नवम्बर, 2009; सा.का.नि. 1(अ) तारीख 1 जनवरी, 2010; सा.का.नि. 61(अ) तारीख 5 फरवरी, 2010; सा.का.नि. 485(अ) तारीख 9 जून, 2010; सा.का.नि. 608(अ) तारीख 21 जुलाई, 2010; सा.का.नि. 739(अ) तारीख 9 सितम्बर, 2010; सा.का.नि. 809(अ) तारीख 4 अक्तूबर, 2010; सा.का.नि. 188(अ) तारीख 15 मार्च, 2011; और सा.का.नि. 203(अ) तारीख 18 मार्च, 2011 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2011

G.S.R. 354(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Third Amendment) Rules, 2011.

 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,—

 (i) in Schedule I, for serial number 21 relating to "Copper, Lead and Zinc Smelting", the following serial number and entries shall respectively be substituted, namely :—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standard		
(1)	(2)	(3)	(4)		
"21	Copper, Lead or Zinc Smelting Plant	Emission standards			
			a. Concentrator		
			Existing Unit	New Unit	
		Particulate Matter (mg/Nm^3)	100	75	
			b. Sulphur Dioxide Recovery Unit		
			Limiting Concentration in mg/Nm^3		
			Plant capacity for 100% convertible concentration of Sulphuric Acid (tonne/day)	Existing Unit	New Unit
		Sulphur Dioxide (So_2)	Upto 300	1370	1250
			Above 300	1250	950
		Acid Mist/Sulphur	Upto 300	90	70
		Trioxide	Above 300	70	50

Note :

1. Capacity in above stipulation means the installed capacity of Sulphuric Acid Plant.
2. Scrubbing units shall have on-line pH meters with auto recording facility.
3. Plant commissioned on or after the date of notification, shall be termed as 'New Unit'.
4. The height of the Stack emitting Sulphur Dioxide or acid mist shall be a minimum of 30 metres or as per the formula $H = 14 (Q)^{0.3}$ (whichever is more), where "H" is the height of stack in metres; and "Q" is the maximum quantity of SO_2 in kg/hr, expected to be emitted through the stack at 110 per cent rated capacity of the Tail Gas plant (s) and calculated as per the norms of gaseous emission.
5. Tail Gas plants having more than one stream or unit of sulphuric acid at one location, the combined capacity of all the streams or units shall be taken into consideration for determining the stack height and applicability of emission standards.
6. Tail Gas plants having separate stack for gaseous emission for the scrubbing unit, the height of this stack shall be equal to main stack or 30 metres, whichever is higher.";

(ii) in Schedule VI, in part-D, in paragraph III relating to Load/Mass Based Standards, for serial number 2 relating to Copper, Lead and Zinc Smelter/Convertor Plant, for the entries, the following entries shall respectively be substituted , namely :—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standard		
(1)	(2)	(3)	(4)		
			Quantum Limit in kg/tonne		
			Plant capacity for 100% concentration of Sulphuric Acid (tonne/day)	Existing Unit	New Unit
"2.	Copper, Lead or Zinc Smelting Plant	Sulphur Dioxide (SO_2)	Upto 300	2.5	2.0
			Above 300	2.0	1.5".

[F. No. Q-15017/29/2007-CPW]
RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844(E), dated 19th November, 1986; subsequently amended vide S.O. 433(E) dated 18th April 1987; and recently amended vide G.S.R. 97(E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149(E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 512(E), dated the 9th July, 2009; G.S.R. 543 (E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 595(E), dated the 21st August 2009; G.S.R. 794(E), dated the 4th November, 2009, G.S.R. 826(E), dated the 16th November, 2009; G.S.R. 1 (E), dated the 1st January, 2010; G.S.R. 61(E), dated 5th February, 2010; G.S.R. 485(E), dated 9th June, 2010; G.S.R. 608(E), dated 21st July, 2010; G.S.R. 739(E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated, 4th October, 2010; G.S.R. 215(E), dated the 15th March, 2011, and G.S.R. 221(E), date, the 18th March, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.